भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 662

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को दिया गया)

<u>कारपोरेट क्षेत्र में शासन प्रणाली</u>

662. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने शासन प्रणाली में सुधार करने व उसके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) क्या कारपोरेट कार्य में सुधार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या कारपोरेट कार्य से जुड़े पुराने नियमों को बदल कर नए नियम तथा विनियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार देश में कारपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (च) : शासन पद्धति में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रशासन से संबंधित कार्य देखता है। अधिनियम और नियमों में कारपोरेट शासन के प्रमुख घटक शामिल हैं। अधिनियम के प्रावधान क्रमिक रूप से लागू किए जा रहे हैं, इसलिए, इनमें कारपोरेट शासन की नवीनतम सर्वोत्तम प्रणालियां प्रतिबिम्बित हो रही हैं। कठिनाइयां अथवा समस्याएं पेश आने पर परिपत्रों, सांविधिक आदेशों तथा नियमों के माध्यम से सुधारक उपाय किए जा रहे हैं ताकि कंपनियों को आसानी और सुगमता हो।

*****